

स्थायी समिति ने कानूनी शिक्षा सुधारों का आह्वान किया

प्रलिस के लिये:

[संसदीय स्थायी समिति, बार काउंसिल ऑफ इंडिया](#), राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा और अनुसंधान परिषद (प्रस्तावित), [अधिकाता \(संशोधन\) अधिनियम, 2023](#)

मेन्स के लिये:

भारत में कानूनी शिक्षा परदृश्य की प्रमुख सफारिशें।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में भारत में कानूनी शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें महत्त्वपूर्ण सफारिशें प्रस्तावित की गईं।

समिति की प्रमुख सफारिशें क्या हैं?

- **कानूनी शिक्षा वनियमन का पुनर्गठन:** बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नयामक शक्तियों को सीमति करते हुए, कानूनी शिक्षा के गैर-मुकदमेबाज़ी पहलुओं की देखरेख के लिये **राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा और अनुसंधान परिषद (NCLER)** के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।
- **शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाना:** कानून स्कूलों के भीतर अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिये शीर्ष शोधकर्त्ताओं को संकाय के रूप में भरती करना।
 - लॉ स्कूलों को समर्थन देने के लिये राज्य वित्त पोषण में वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार करना।
- **वैश्विक पाठ्यक्रम का एकीकरण:** छात्रों और संकाय दोनों के लिये अंतरराष्ट्रीय वनियम कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये भारतीय कानून स्कूलों में वैश्विक पाठ्यक्रम को शामिल करना।
 - व्यापक कानूनी शिक्षा के लिये छात्रों को विविध कानूनी प्रणालियों से परिचित कराना।
- **अंतःवषिय वषियों का अनविर्य समावेश:** यह स्नातक पाठ्यक्रमों में कानून और चकितिसा, खेल कानून, ऊर्जा कानून, तकनीकी कानून/साइबर कानून, वाणजियक तथा नविश मध्यस्थता, प्रतभूति कानून, दूरसंचार कानून एवं बैंकिंग कानून जैसे वषियों को अनविर्य रूप से शामिल करने का सुझाव देता है।
 - व्यापक पाठ्यक्रम विकास के लिये सरकारों, विश्वविद्यालयों और BCI के बीच सहयोग आवश्यक है।
- **व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल देना:** विश्वविद्यालयों को मूट कोर्ट (न्यायालय की प्रतकृति) प्रतयोगिताओं जैसे व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिये BCI के साथ सहयोग करना चाहिये।
 - ये कार्यक्रम छात्रों को नकली/काल्पनिक न्यायालय कक्ष सेटिंग में कानूनी सिद्धांत लागू करने, मौखिक वकालत और समीक्षात्मक/समालोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं।
- **कानूनी शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन:** समिति ने कानून कॉलेजों की मान्यता में मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के महत्त्व पर ज़ोर देती है।
 - भारत में अवमानक/नमिन स्तरीय लॉ कॉलेजों के प्रसार को रोकने के लिये तत्काल उपायों की आवश्यकता है।

नोट: भारत में कानूनी शिक्षा की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी, जिसमें धर्म की अवधारणा कानूनी संरचना का स्रोत थी। **चोल न्याय व्यवस्था** वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था की अग्रदूत थी। "कानून के समक्ष सभी समान हैं" या वर्तमान 'वधिक शासन' का सिद्धांत चोल साम्राज्य में अपनाया गया था।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है?

- **परिचय:** भारतीय बार काउंसिल को वनियमिति करने और प्रतनिधित्व करने के लिये **अधिवक्ता अधिनियम, 1961** के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है।
- **वनियामक कार्य:**
 - अधिवक्ताओं के लिये **व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक** नरिधारति करना।
 - अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के लिये प्रक्रियाएँ स्थापति करना।
 - भारत में कानूनी शकिषा के लिये मानक नरिधारति करना और योग्य कानून डगिरी को मान्यता देना।
- **अन्य दायतित्व:**
 - **अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हतियों** की रक्षा करना।
 - वंचतियों के लिये कानूनी सहायता का आयोजन करना।
 - बार काउंसिल के सदस्यों के लिये नरिवाचन आयोजति करना।
 - राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रेषति कसिी भी संबद्ध मामले से नपिटना और नपिटान करना।
- **हालिया परिवर्तन:**
 - वर्ष 2023 में **BCI ने वदिशी वकीलों** और वधििसंस्थाओं को भारत में गैर-मुकदमा संबंधी गतविधियों जैसे **कॉर्पोरेट कानून तथा बौद्धिक संपदा मामलों में वधििव्यवसाय करने की अनुमति प्रदान दी**।
 - उन्हें संपत्ति अंतरण अथवा स्वामतित्व अन्वेषण संबंधी कार्यों से प्रतबिंधति कयिा गया।
 - वदिशी फर्मों में भारतीय वकीलों को समान प्रतबिंधियों का सामना करना पड़ता है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 क्या है?

- **परिचय:** अधिवक्ता अधिनियम, 1961, भारतीय वधििव्यवसायियों (Legal Practitioners) से संबंधति वधिि को संशोधति एवं समेकति करने तथा **बार काउंसिल व एक अखलि भारतीय बार** के गठन का प्रावधान करने के लिये अधिनियमिति कयिा गया था।
 - इस अधिनियम ने वधििव्यवसायी अधिनियम, 1879 के अधकिांश प्रावधानों को प्रतसि्थापति कर दयिा।
- **हालिया संशोधन:** **अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023** दलाली के मुद्दे का समाधान कर अधिवक्ता अधिनियम, 1961 को संशोधति करता है।
 - दलाल वे व्यक्ती होते हैं जो वकीलों के लिये वधििव्यवसाय सुरक्षति करने के बदले में भुगतान की मांग करते हैं।
 - संशोधति प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालयों, ज़िला न्यायाधीशों, सत्र न्यायाधीशों, ज़िला मजसि्ट्रेटों और कुछ राजसव अधिकारियों को अब **दलालों की सूची संकलति करने तथा उसे प्रकाशति करने का अधिकार** प्रदान कयिा गया है।
 - न्यायालय या न्यायाधीश कसिी भी ऐसे व्यक्ती को न्यायालय परसिर से बाहर कर सकता है जसिका नाम दलालों की सूची में शामिल है।

एक वकील और एक अधिवक्ता में अंतर क्या है?

- **वकील:** वकील वह व्यक्ती होता है जो पेशेवर रूप से योग्य होता है साथ ही वह भारत के कसिी प्रतषिठति संस्थान अथवा कॉलेज से कानून की डगिरी धारक होता है।
 - इसमें कानूनी शोधकरत्ता, कानूनी फर्म सहयोगी, कानूनी सलाहकार आदि शामिल हो सकते हैं।
 - **ज़रूरी नहीं कि उसे न्यायालय में ग्राहकों का प्रतनिधित्व करने का अधिकार हो।**
- **अधिवक्ता:** अधिवक्ता योग्य कानूनी पेशेवर है जिन्होंने राज्य बार काउंसिल में नामांकन कयिा है और **अखलि भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण** की है।
 - न्यायालय में ग्राहकों का प्रतनिधित्व करने, उनके मामले की पैरवी करने के साथ-साथ उनकी ओर से बहस करने का अधिकार रखता है।
 - कुछ अन्य कानूनी प्रणालियों में **"बैरसिटर"** के समतुल्य।
- प्रतत्येक वकील, वकील होता है, लेकिन प्रतत्येक वकील **अधिवक्ता** नहीं होता।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2022)

1. सरकारी वधिि अधिकारी और वधििकि फर्म अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्रापूत हैं, कतिु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं।
2. वधििज्ज परषिदों (बार काउंसिल) को वधििकि शकिषा और वधििविशिव्वदियालयों की मान्यता के बारे में नयिम अधकिथति करने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/standing-committee-calls-for-legal-education-reforms>

